

To Extend Limits of Dadri MC

111

Smt. Naina Singh Chautala, M.L.A (Badhra):

Will the Urban Local Bodies Minister be pleased to state:-

- a) the time when the limits of Dadri Municipal Council area were earlier fixed; and
- b) whether there is any proposal under consideration of the Government to extend the limits of Dadri Municipal Council Area; if so, the time by which the limits of Dadri Municipal Council area are likely to be extended?

Dr. Kamal Gupta, Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Sir,

- a) The limits of the then Municipal Committee, Charkhi Dadri (now Municipal Council, Charkhi Dadri) were altered earlier vide Haryana Government (Local Government Department) Notification No. 12/25/5CI-79 dated 21st April, 1980.
- b) The Municipal Council, Charkhi Dadri has passed a fresh resolution No. 10 dated 13.02.2024 for extending the limits of Municipal Council, Charkhi Dadri.

Government had earlier constituted a Committee under the Chairpersonship of concerned Deputy Commissioner vide Government order Endst. No. 53/278-08-3CI dated 22.01.2009 for examining the cases in respect of extension of limits of the municipalities as per guidelines/criteria issued vide Government letter No. 53/278-08-3CI dated 03.03.2009.

Presently, the matter is under examination at the level of Committee constituted under the Chairpersonship of Deputy Commissioner, Charkhi Dadri. After receipt of the proposal from Deputy Commissioner, Charkhi Dadri, further action will be taken.

दादरी नगर परिषद की सीमाओं का विस्तार करना

111

श्रीमती नैना सिंह चौटाला, विधायक (बाढड़ा):

क्या शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कृपया बताएंगे कि:-

- क) दादरी नगर परिषद क्षेत्र की सीमाएं पहले कब निर्धारित की गई थी; तथा
ख) क्या दादरी नगर परिषद क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; यदि हाँ, तो दादरी नगर परिषद क्षेत्र की सीमाओं का विस्तार कब तक किए जाने की सम्भावना है?

डॉ. कमल गुप्ता, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री, हरियाणा।

श्रीमान जी,

क) तत्कालीन नगरपालिका, चरखी दादरी (अब नगर परिषद चरखी दादरी) की सीमा पूर्व में हरियाणा सरकार (स्थानीय शासन विभाग) की अधिसूचना संख्या 12/25/5क-79 दिनांक 21 अप्रैल, 1980 द्वारा निर्धारित की गई थी।

ख) नगर परिषद, चरखी दादरी की सीमाओं का विस्तार करने के लिए नगर परिषद, चरखी दादरी द्वारा नवीनतम प्रस्ताव संख्या 10 दिनांक 13.02.2024 को पारित किया गया है।

सरकार के पत्र क्रमांक 53/278-08-3क1 दिनांक 03.03.2009 द्वारा पालिकाओं की सीमाओं का विस्तार करने के सम्बन्ध में जारी किये गये दिशानिर्देशों/मापदण्डों का निरीक्षण करने के लिए सरकार के आदेश संख्या 53/278-08-3क1 दिनांक 22.01.2009 द्वारा सम्बन्धित उपायुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया हुआ है।

वर्तमान में मामला उपायुक्त, चरखी दादरी की अध्यक्षता में गठित समिति के निरीक्षणाधीन है। उपायुक्त, चरखी दादरी से प्रस्ताव प्राप्त होने उपरान्त आगामी कार्रवाई की जायेगी।
